ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री धर्मपाल सूर्या	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री जगर सिंह	01/04/2023 से 18/07/2023
2	श्री बिजेंदर ठाकुर	19/07/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री सत्यपाल	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री बाबु राम शर्मा	01/04/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही व बैंक में भारी अन्तर	21.07
2	4.3	हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करवाना	1.77
3	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	28.11
4	7.1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19
5	8	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.90
6	9	निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति की सत्यापना के बिना करना	7.94

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सुचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का यह प्रथम अंकेक्षण था।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28/11/2024 से 03/12/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2023-24	-	03/24

"अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 130 दिनांक 03/12/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत चाड़ना द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	3533231.44	3601937	146695	**7281863.44**	3939450.7	**3342412.74**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**3880724.72**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹3342412.74-₹3880724.72) परिशिष्ट-2**						**-538311.98**

4.2 ₹19.88 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹1988207.98** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम	**योजना का नाम**	**अंतर की राशि (₹)**
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)/ 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	740601.28
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	528102
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	395381.9
4	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	118736.6
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)	30000
6	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	8540.2
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	2527
8	12वां वित्त आयोग (12th FC)	18898
9	13वां वित्त आयोग (13th FC)	145421
	कुल	**1988207.98**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 ₹1.77 लाख हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करवानाः-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को पंचायत निधि खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट-1** का अवलोकन करने पर पाया गया दिनांक 31.03.2024 को **₹176940** का हस्तगत रोकड दर्शाया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस राशि को शीघ्र बैंक में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बंद योजनाओं में ₹2.06 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹205694.2 (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजनाएं आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं :-

क्रम	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)**
1	12वां वित्त आयोग (12th FC)	18898
2	13वां वित्त आयोग (13th FC)	145421
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	41375.2
	कुल	**205694.2**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 पंचायत के स्व-स्त्रोतों की आय-व्यय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये बैंक खाते का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचित को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत में दिनाँक 31/03/2024 को **₹531484.14** की राशि शेष थी परन्तु सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹28.11 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2024 को **₹2810928.6** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम

2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	532796
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1744044
3	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	153394.5
4	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	142468
5	इंदिरा आवास योजना (IAY)	30004.9
6	12वां वित्त आयोग (12th FC)	18898
7	13वां वित्त आयोग (13th FC)	145421
8	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	41375.2
9	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	2527
	कुल	**2810928.6**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जाकि आपत्तिजनक है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹1.47 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹146930** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
15वां वित्त आयोग (15th FC)	146930

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹4.67 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹466709** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)
15वां वित्त आयोग (15th FC)	466709

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट-3** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹18500** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण फीस बारे

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04/10/16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 30 दिनों के भीतर ₹200 प्रति पंजीकरण तथा 30 दिनों के बाद व 90 दिनों के भीतर ₹400 की दर से तथा 90 दिनों के पश्चात पंजीकरण की स्थिति में दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से समुचित आदेश प्राप्त कर ₹400 की रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।

7.2(क) विवाह पंजीकरण फीस ₹0.03 लाख कम अथवा प्राप्त न करना

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पडताल के दौरान विवाह पंजिकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार विवाह पंजीकरण फीस **₹2600** कम अथवा प्राप्त नहीं की गई थी:-

क्रम	जोडे का नाम	रसीद सं०/दिनांक	विवाह की दिनांक/ विवाह पंजीकरण की दिनांक	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 सं0	प्राप्ति योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	कम प्राप्ति (₹)
1	श्री संदीप कुमार व श्रीमती ऋतु कुमारी	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	13-05-23/ 05-07-23	अंकित नहीं	400	0	400
2	श्री मनिन्द्र सिंह व श्रीमती नीरज कुमारी	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	22-05-23/ 13-07-23	अंकित नहीं	400	0	400
3	श्री पवन कुमार व श्रीमती शीतल	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	25-08-23/ 25-07-23	अंकित नहीं	200	0	200
4	श्री रविन्द्र सिंह व श्रीमती प्रियंका	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	25-08-23/ 20-09-23	अंकित नहीं	400	0	400
5	श्री कमलराज व श्रीमती ईशा	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	20-10-23/ अंकित नहीं	अंकित नहीं	400	0	400
6	श्री सुरेश कुमार व श्रीमती राधा देवी	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	02-10-23/ 01-11-23	अंकित नहीं	200	0	200
7	श्री ओमीचंद व श्रीमती नीरज कुमारी	रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी	23-10-23/ 14-11-23	अंकित नहीं	200	0	200
8	श्री परवीन कुमार व श्रीमती अंशु कुमारी	004/ 27-12-23	02-11-23/ 27-12-23	अंकित नहीं	400	200	200
9	श्री विवेक व श्रीमती सोनम	005/ 29-12-23	28-11-23/ 29-12-23	अंकित नहीं	400	200	200
						कुल	**2600**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की राशि की कम वसूली करने के कारणों को स्पष्ट

करते हुए बकाया राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके शीघ्र अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2(ख) विवाह पंजीकरण फीस से प्राप्त ₹1200 को रोकड़ बही में लेखांकित न करना

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पडताल के दौरान विवाह पंजिकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार विवाह पंजीकरण फीस **₹1200** की प्राप्त राशि का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था :-

क्रम	**जोडे का नाम**	**रसीद सं०/दिनांक**	**विवाह की दिनांक/ विवाह पंजीकरण की दिनांक**	**विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 सं0**	**प्राप्त राशि (₹)**
1	श्री परवीन कुमार व श्रीमती अंशु कुमारी	004/ 27-12-23	02-11-23/ 27-12-23	अंकित नहीं	400
2	श्री विवेक व श्रीमती सोनम	005/ 29-12-23	28-11-23/ 29-12-23	अंकित नहीं	400
3	श्री रजत व श्रीमती शीतल कुमारी	006/ 25-03-24	07-03-24/ 25-03-24	अंकित नहीं	200
4	श्री रजत वर्मा व श्रीमती पल्लवी	007/ 28-03-24	07-03-24/ 28-03-24	अंकित नहीं	200
				कुल	**1200**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस राशि का रोकड बही में लेखांकन करके इसे बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 एक ही क्रमांक की 2 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 2 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी। जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि

आपत्तिजनक है । चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹8.90 लाख का अनियमित भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि वर्णित विवरण अनुसार **₹889620.98** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

9 ₹7.94 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना के बिना करना -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 तथा हि०प्र० पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना के बिना ही किया गया था। इस बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 का अंकेक्षण समाप्ति तक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था जोकि अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः-

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34

3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 129 दिनांक 03/12/2024 का अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिका**:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष:-** ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

17 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

547-551 क0/प्र0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 96/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत चाडना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

17 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

क0/प्र0

Annex 1

ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	3533231.44	3601937	146695	**7281863.44**	3939450.7	**3342412.74**

ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	523099.84	629906	26119	**1179124.84**	647640.7	**531484.14**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	532796	0	0	**532796**	0	**532796**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1943247	146930	120576	**2210753**	466709	**1744044**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	153394.5	0	0	**153394.5**	0	**153394.5**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	142468	0	0	**142468**	0	**142468**
इंदिरा आवास योजना (IAY)	30004.9	0	0	**30004.9**	0	**30004.9**
12वां वित्त आयोग (12th FC)	18898	0	0	**18898**	0	**18898**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	145421	0	0	**145421**	0	**145421**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	41375.2	0	0	**41375.2**	0	**41375.2**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	2527	0	0	**2527**	0	**2527**
मनरेगा	0	2825101	0	**2825101**	2825101	**0**
कुल	**3533231.44**	**3601937**	**146695**	**7281863.44**	**3939450.7**	**3342412.74**

दिनांक 01/04/2023 को रोकड़ बही अनुसार प्रारंभिक शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	176940.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	3356291.44
कुल	3533231.44

दिनांक 01/04/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	176940.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	3165472.74
कुल	3342412.74

सचिव
ग्राम पंचायत चाड़ना
विकास खण्ड संगडाह
जिला सिरमौर (हि.प्र.)

Annex 2

ग्राम पंचायत बडोल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110100002	**531484.14**	1288174.24	
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हरिपुरधार	89090100007271			
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)			**142468**	126379.18	
	कुल		**673952.14**	**1414553.42**	-740601.28
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110106131	**532796**	4694	528102
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हरिपुरधार	89090100007387	**1744044**	2139425.9	-395381.9
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110105046	**153394.5**	16103.1	
	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110105045		256028	
	कुल		**153394.5**	**272131.1**	-118736.6
इंदिरा आवास योजना (IAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110100020	**30004.9**	4.9	30000
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110102429	**41375.2**	49915.4	-8540.2
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	भारतीय स्टेट बैंक, चाड़ना	37113663945	**2527**	0	2527
12वां वित्त आयोग (12th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		**18898**		18898
13वां वित्त आयोग (13th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		**145421**		145421
	कुल योग		**3342412.74**	**3880724.72**	**-538311.98**

Annex 3

ग्राम पंचायत चाड़ना, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **452**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **25 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	7200	11300	**18500**	0	**18500**

सचिव
ग्राम पंचायत चाड़ना
विकास खण्ड संगडाह
जिला ... (हि.प्र.)

पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान

परिशिष्ट-4

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	दिनांक	राशी (₹)
1	मनरेगा		सी/ओ भूमि सुधार नारदा देवी पत्नी सजनू	5423	21-03-2024	22787.65
2	मनरेगा		भूमि सुधार प्रताप सिंह पुत्र उदय राम	5424	21-03-2024	15051.33
3	मनरेगा		सी/ओ भूमि सुधार हिरदा राम पुत्र सामा	5292	06-03-2024	18720
4	मनरेगा		सी/ओ सुरक्षा दीवार आत्मा राम पुत्र बुगला	5297	06-03-2024	28080
				5297	06-03-2024	3120
5	मनरेगा		सुरक्षा दीवार बिलम सिंह पुत्र दौलत राम	5426	21-03-2024	25200
				5426	21-03-2024	2880
6	मनरेगा		भूमि सुधार धरम पाल पुत्र जीवन सिंह	5293	06-03-2024	18480
7	मनरेगा		भूमि सुधार सतपाल पुत्र रामसा	5294	06-03-2024	8640
8	मनरेगा		भूमि सुधार जय प्रकाश पुत्र जालम सिंह	5295	06-03-2024	9360
9	मनरेगा		सी/ओ सुरक्षा दीवार मोहन लाल पुत्र देवी राम	5299	06-03-2024	15750
10	मनरेगा		सी/ओ पशु शेड रणजीत सिंह एस/ओ घोरखू	5314	06-03-2024	23040
				5664	21-03-2024	23520
11	मनरेगा		सी/ओ भूमि.देव ज्ञान सिंह पुत्र राम लाल	5315	06-03-2024	20160
12	मनरेगा		सी/ओ सुरक्षा दीवार भूपिंदर पुत्र दौलत राम	5316	06-03-2024	25920
13	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव मोहन लाल पुत्र सोभा राम	5317	06-03-2024	23040
14	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव राजीव पुत्र सही राम	5318	06-03-2024	24240
15	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव सूरत सिंह पुत्र मोथू	5428	21-03-2024	10800
16	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव विनोद सूर्या पुत्र हीरा सिंह	5319	06-03-2024	11520
				5665	21-03-2024	13440
17	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव वीरेंद्र पुत्र चंदन सिंह	5429	21-03-2024	25200
18	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव राजेश पुत्र सूरत राम	5300	06-03-2024	18720
				5300	06-03-2024	6240

19	मनरेगा		सी/ओ सुरक्षा दीवार राम लाल पुत्र ध्यान सिंह	5430	21-03-2024	21600
20	मनरेगा		सी/ओ गोशाला रमेश पुत्र रूप सिंह	5320	06-03-2024	14400
				5320	06-03-2024	2880
21	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव राजिंदर पुत्र सही राम	5301	06-03-2024	15600
22	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव हरिचंद पुत्र राम भज	5302	06-03-2024	30960
23	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव जगदीश पुत्र रूप सिंह	5321	06-03-2024	17280
24	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव भूपिंदर पुत्र मीन सिंह	5303	06-03-2024	15600
				5666	21-03-2024	23520
26	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव कुलदीप पुत्र जगर सिंह	5322	06-03-2024	25920
27	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव रूप सिंह पुत्र मोथू	5304	06-03-2024	15600
28	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव संत राम पुत्र कालिया	5324	06-03-2024	20160
29	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव सोम दत्त पुत्र जत्ती राम	5305	06-03-2024	15600
30	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव रमेश पुत्र उदय सिंह	5326	06-03-2024	20160
31	मनरेगा		सी/ओ गोशाला रमेश पुत्र रण सिंह	5431	21-03-2024	32400
32	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव जगत सिंह पुत्र सलकू	5306	06-03-2024	18018
				5306	06-03-2024	2574
33	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव गोपाल पुत्र रामभज	5307	06-03-2024	31200
34	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव राजेश पुत्र सूरत सिंह	5432	21-03-2024	25200
35	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव बलदेव पुत्र मोहर सिंह	5327	06-03-2024	14400
36	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव गीता राम पुत्र अदगी राम	5433	21-03-2024	21600
37	मनरेगा		सी/ओ भूमि देव राजेश पुत्र इंदर सिंह	5329	06-03-2024	11520
				5329	06-03-2024	4080
38	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत	OWN/2023- 24/P/27 21-03-2024	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान			47500
39	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत	OWN/2023- 24/P/28 21-03-2024	पंचायत सिलाईअध्यापिका को मानदेय का भुगतान			25440

40	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत	OWN/2023- 24/P/29 21-03-2024	पंचायत चोकीदार को मानदेय का भुगतान			22500
			कुल			**889620.98**

Tarun Saini

(तरुण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Chao
फोन-9736161012